



2026: AHC: 26382

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या - **515/2026**

ओम प्रकाश एवं अन्ययाचीगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्यप्रतिवादीगण

याची(गण) के अधिवक्ता: जय प्रकाश सिंह

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: सी.एस.सी. (मुख्य स्थायी अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचियों के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री हरि मोहन श्रीवास्तव को सुना गया।
2. प्रस्तुत याचिका, उत्तर प्रदेश ज़मींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 333 के तहत निगरानी संख्या 2062 वर्ष 2021, कंप्यूटरीकृत वाद संख्या AL20210149002062 (शिवराम और अन्य बनाम अपर आयुक्त, आगरा मंडल, आगरा) को निर्धारित अवधि के भीतर तय करने हेतु प्रतिवादी संख्या 2/राजस्व परिषद, उ.प्र., प्रयागराज को निर्देशित करने के लिए एक परमादेश रिट की मांग करते हुए दायर की गई है।
3. याचियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 3 और 4 द्वारा दायर उक्त निगरानी, जिसमें याचियों को विपक्षी पक्ष के रूप में पक्षकार बनाया गया है और जो उ.प्र. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 116 के तहत कार्यवाही से उत्पन्न हुई है, वर्ष 2021 से राजस्व परिषद के समक्ष लंबित

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



हैं। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि मामले की आदेश तालिका की प्रति को याचिका के साथ संलग्नक संख्या 2 के रूप में संलग्न किया गया है ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि मामले में त्वरित गति से कार्यवाही नहीं हो रही है।

4. मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना और तथ्यों तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी संख्या 2/राजस्व परिषद, उ.प्र., प्रयागराज को यह निर्देश दिया जाता है कि वह कानून के अनुसार पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, उक्त निगरानी संख्या 2062 वर्ष 2021, कंप्यूटरीकृत वाद संख्या AL20210149002062 (शिवराम और अन्य बनाम अपर आयुक्त, आगरा मंडल, आगरा), धारा 333 U.P.Z.A. & L.R. अधिनियम के तहत, अधिमानतः अपने समक्ष इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर यथासंभव शीघ्रता से तय करें।

5. तदनुसार, रिट याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित किया जाता है।

6 फरवरी, 2026

रमीज़

(चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"